

8/16 मत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण उपस्थित आए
मत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 28.3.18
से लखित चली आ रही है कई अवसर दिए
जा चुके हैं अन्तिम अवसर दिया जाता है
मत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.18
को पेश हो

28/8 मत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण उपस्थित आए
वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अपेक्षा न
निषम 11 CPC पेश किया वकल प्रतिवादी अधिवक्ता
को दिलाई गई शामिल मत्रावली रहे मत्रावली
वास्ते बहस दिनांक 12.9.18 को पेश हो

9/12 वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... राज. कार्य हेतु अपपुर पधारे
मत्रावली दिनांक 5.10.18 को पेश हो। (Kamr)

5/10 वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... अन्य कार्य में व्यस्त हैं
मत्रावली दिनांक 25.10.18 को पेश हो। (Kamr)

25/10 अधिवक्तागण उपस्थित आए बहस प्रार्थना पत्र अपेक्षा
न निषम 11 CPC हेतु समय चाहा मत्रावली वास्ते
बहस दिनांक 29.10.18 को पेश हो

29/10 अधिवक्तागण उपस्थित आए बहस प्रार्थना पत्र अपेक्षा
न निषम 11 CPC हेतु समय चाहा मत्रावली वास्ते
बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.18 को पेश हो

26/11 वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... उ. न. 9, सम्बन्धित कार्य में व्यस्त
मत्रावली दिनांक 10.1.19 को पेश हो।

1/10 वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... V.C में पधारे हैं
मत्रावली दिनांक 18/1/19 को पेश हो। (Kamr)

18/1 अधिवक्तागण उपस्थित आए। बहस प्रार्थना पत्र
हेतु समय चाहा। मत्रावली वास्ते बहस
दिनांक 28/1/19 को पेश हो

24/1 मत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता की ओर
से अधिवक्ता श्री रामेन्द्र रमाण ने पन्पि
चैखी पेश की। वादी बलमिन्द्र सिंह स्वंग
उपस्थित आया व प्रार्थना पत्र बाबत नोटिस
पेश किया कि उक्त जवाब मुकदमा में

वकील फरीकन

अनवान :बनाम :

प क	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक अहकाम जो इस आदेश की पालना में जारी हुए।
--------	-----------------------------------	---

वादी का प्रतिवादी से राजीनामा हो गया है।
इसलिए उक्त वाद पत्र आज पेशी में लिखा जाकर
दाखल वफतूर फरमाया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने NO
मर्चा पेशी के तहत आए अधिवक्ता व वादी
के विवेदन करने पर उक्त पत्रावली आज
पेशी में ली गई। वादी बलबिन्दु सिंह व
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा का सुन गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी के
प्राथम्य पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण
को नोटिस के जरिए इसी स्ट्रेज पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली विगीति होकर नम्बर
से कम है।

objection किया

अधिवक्ता (राजस्व)
श्रीकरगपुर (श्रीगंगानगर)

